संख्या- 56/1508/बयालिस-2015-98(विविध)/2015

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2015**

विषय :- ग्रीनपार्क कानपुर में अक्टूबर, 2015 में प्रस्तावित भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय मैच के दृष्टिगत कराये जाने वाले कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 297/नि0 ग्रीनपार्क कानपुर/2015-16, दिनांक 29 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2015-16 में ग्रीनपार्क कानपुर में अक्टूबर, 2015 में प्रस्तावित भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका एक दिवसीय मैच के लिए डायरेक्ट्रैट पवेलियन के भूतल को प्लेयर्स ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग हेतु उच्चीकरण एवं मुख्य स्टेडियम के बाहरी भाग में किये जाने वाले नये कार्यों हेतु रू0 97.80 लाख (रू0 सत्तानबे लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं खेल एवं खेल से सम्बनिधत कार्यकलापों को बढ़ावा देने की मद से रू0 97.80 लाख (रू0 सत्तानबे लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि रू0 97.80 लाख (रू0 सत्तानबे लाख अस्सी हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2015-16 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(4)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

(6)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी, तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जायें।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि विभाग हेतु निर्धारित परिव्यय के अन्तर्गत है। स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेगे।

(9)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एंव बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87-खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिये-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिता श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- 56/1508(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, कानपुर।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, आवास विकास परिषद।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, कानपुर।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in